प्रारूप – एक
(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, कोरबा

अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत

क्र./9939 /क/भू-अर्जन/2017 कोरबा, दिनांक 27/07/2017

नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :–

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
कोरबा	करतला	दर्रभांठा	0.360 हे.	बालपुर–रींवापार(दर्रभांठा)–सरईपाली–खरवानी मार्ग पर सोन नदी पर सेतु पहुंच मार्ग निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक .... को समय .... बजे से स्थान .... नियत की गई है । प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :–

1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण : बालपुर – रींवापार (दर्रभांठा) – सरईपाली – खरवानी मार्ग पर सोन नदी पर सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण
2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या : 10
3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या : निरंक
4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानो तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या : निरंक
5. प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या : निरंक
6. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? : हां
7. क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है? : हां
8. परियोजना की कुल लागत : रूपये 166.33 लाख
9. परियोजना से होने वाले लाभ : इस पुल के बनने से 12 ग्रामों की विकासखण्ड एवं जिला मुख्यालय से आवागमन की सीधी सुविधा बारहमासी हो जावेगी ।
10. प्रस्तावित समाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय : प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे है । इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा को राशि 5.00 लाख का भुगतान चेक कमांक 110542 दिनांक 15.12.2016 के माध्यम से जमा किया गया है ।
11. परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक : निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी ।

(मो.कैसर अब्दुल हक)
कलेक्टर
जिला कोरबा
एवं पदेन उप सचिव
छ.ग.शासन
राजस्व, एवं आपदा प्रबंधन विभाग